

Amended
1005

अधिसूचना

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 11 मई, 1992

NOTIFICATION

(Railway Board)

New Delhi, the 11th May, 1992

सा.का.नि. 245—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 और धारा 200 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल (वासित लाइनें) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

G.S.R. 245.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 60 read with section 198 and clause (a) of sub-section (1) of section 200 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (वासित लाइनें) साधारण संशोधन नियम, 1991 है।

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General Amendment Rules, 1991.

(2) ये पत्रपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. भारतीय रेल (वासित लाइनें) साधारण नियम, 1976 में—

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976,—

(1) प्रमाण 1 में, नियम 2 में,—

(1) in Chapter 1, in rule 2,—

(i) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

(i) for clause (1), the following clause shall be substituted, namely:—

“(i) ‘‘अधिनियम’’ के रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अर्थात् है”;

“(1) ‘Act’ means the Railways Act, 1989 (24 of 1989);

(ii) खंड (13) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

(ii) for clause (13), the following clause shall be substituted, namely:—

“(13) ‘‘रेल सुरक्षा आयुक्त’’ के अधिनियम के अर्थात् किन्हीं कृत्यों के पालन के लिये नियुक्त किया गया रेल सुरक्षा आयुक्त अर्थात् है और इसके अन्तर्गत मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त भी है”;

“(13) ‘Commissioner of Railway Safety’ means a Commissioner of Railway Safety appointed to exercise any functions under the Act and includes the Chief Commissioner of Railway Safety.”

(2) प्रमाण 4 में, नियम 28 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

(2) in Chapter 4, for sub-rule (1) of rule 28, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) वाहनों की सवारी: किसी बॉग वा ट्रक की सवारी इस प्रकार नहीं की जाएगी कि उसका संकल भार धूरे के लिये अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन नियत अधिकतम सीमा से या ऐसा बहन क्षमता, यदि कोई हो, के फेरफार से जो उक्त धारा की उपधारा (4) के अर्थात् रेल प्रशासन द्वारा विहित किया जाए, अधिक हो जाए।

“(1) Loading of vehicles.—No wagon or truck shall be so loaded as to exceed the maximum gross load on the axle fixed under sub-section (1) of section 72 of the Act or such varied carrying capacity if any, as may have been prescribed by the Railway Administration under sub-section (4) of the said section.

(3) प्रमाण 16 में, नियम 3 के उपनियम (1) में, ‘‘अधिनियम की धारा 47’’ शब्द और ब्रackets के स्थान पर ‘‘अधिनियम की धारा 60’’ शब्द और ब्रackets रखा जाएगा।

(3) in Chapter 16, in sub-rule (1) of rule 3, for the words and figures ‘‘section 47 of the Act’’, the words and figures ‘‘section 60 of the Act’’ shall be substituted.

टिप्पण: भारतीय रेल (वासित लाइनें) साधारण नियम, 1976 भारत के पत्रपत्र, प्रकाशन, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 21-7-81 में सा.का.नि. सं. 445(म) द्वारा परिवर्तित किये गए। इन नियमों का भारत के पत्रपत्र में तारीख 16 मई, 1983, 30 अप्रैल, 1983 और 27 जून, 1983 में प्रकाशित क्रमशः सा.का.नि. सं. 320, 353 और 514(म) द्वारा संशोधन किया गया।

NOTE.—The Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976 have been notified in the Gazette of India Extra-ordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (2) dated 21-7-81, under G.S.R. No. 445(E). These rules were amended by notifications Nos. G.S.R. 320, 352 and 514(E) published in the Gazettes dated the 16th April, 1983, the 30th April, 1983 and 27th June, 1983 respectively.

[सं. 89/सुरक्षा (ए और आर)/42/1]

[No. 89/Safety (A&R)/42/1]

एम.वी. श्रीनिवासन,

M. V. SRINIVASAN, Member Traffic, Railway Board &

सदस्य आवागमन, रेलवे बोर्ड और रेल सचिव

Ex-Officio Secy